न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :— इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र सं. 9/2015/विविध

भूरालाल पिता चुन्नीलाल जाति ब्राह्म्ण मृतक के बजाय
जगदीश चन्द्र पिता भूरालाल ब्राह्म्ण मृतक के बजाय
गोपाल पिता जगदीश चन्द्र ब्राह्म्ण
निवासी निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़

—प्रार्थीगण

बनाम

ऊंकारलाल पिता चुन्नीलाल ब्राह्म्ण मृतक के बजाय
बंशीलाल पिता ऊंकारलाल ब्राह्म्ण
निवासी निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़

—अप्रार्थीगण

अन्तर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़
दिनांक 17.04.2015 प्र.सं. डी 368/2012

उपस्थित — 1. श्री —सुरेन्द्र कुमार ओझा— अभिभाषक प्रार्थीगण
2. श्री चन्दनमल जणवा — अभिभाषक अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 04.12.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि इस न्यायालय मे विचाराधीन अपील संख्या 368/2012 अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विचाराधीन थी जिसमे उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा द्वारा प्रकरण संख्या 199/1975 मे पारित निर्णय दिनांक 23/09/75 के विरूद्ध अपील अपीलार्थी द्वारा की गई थी। उक्त पत्रावली मे दिनांक 17/04/2015 को वकील अपीलान्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील विड्रो के आधार पर अपील खारीज करने की प्रार्थना की गई है जिसमे रेस्पोडेन्ट के वकील द्वारा भी आपत्ति नही की गई जिसके फलस्वरूप अपील अपीलान्ट विड्रो किये जाने के आधार पर अपील खारीज कर दी गई।

2. इस न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 17/04/2015 के विरूद्ध आदेश 47 नियम 1 जा0दी0 प्रार्थना पत्र दिनांक 12/06/2015 को प्रस्तुत हुआ जिसका संक्षेप मे सार इस प्रकार है कि उपरोक्त उनवान की अपील जिसमे पेशी 17/04/2015 की सुनवाई हेतु नियत थी उस दिन वकील अपीलान्ट की ओर से एक आवेदन पत्र पेश हुआ जिसमे अपील विड्रो करने की प्रार्थना की थी। उसी आधार पर उक्त अपील को विड्रो करने का आदेश माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया है। जिस आवेदन के आधार पर यह अपील विड्रो की गई है वह आवेदन अपील प्रकरण संख्या 169/15 बंशीलाल बनाम श्यामलाल को पहले से दिनांक

12/09/15 को विड्रो हो गई है। उक्त अपील को विड्रो करने का कोई आवेदन अपीलान्ट की ओर से न पेश हुआ और न ही इस प्रकरण के पक्षकारो के मध्य राजीनामा ही हुआ। इस कारण गलत फेहमी मे वकील अपीलान्ट यह आवेदप पत्र दोनो पेश कर दिय और माननीय न्यायालय ने उन्ही आवेदन को स्वीकार कर यह निर्णय दिनांक 17/04/2015 को पारित कर दिया। इसलिये यह निर्णय इस आधार पर पुनः विचार किये जाने योग्य है। इस प्रकरण मे जिस आवेदन पर निर्णय दिया है उन दोनो आवेदन पत्र पर पर जिन पक्षकारो के हस्ताक्षर व निशानी पद है वे सभी इस प्रकरण मे पक्षकार नही है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 17/04/2015 को निरस्त कर उक्त अपील मे सुनवाई का अवसर प्रदान करावे। जिस पर इस न्यायालय द्वारा यह विविध प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर नोटिस जारी किये गये । इसी दौरान दिनांक 30/09/2016 को एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी प्रस्तुत हुआ जिसमे रेस्पोडेन्ट संख्या 4 बंशीलाल पिता ऊंकार की मृत्यु दिनांक 14/04/2016 को होना बताया जाकर कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत हुआ। रेस्पोडेन्टस की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत हुआ जो शामिल मिसल किया गया। रेस्पोडेन्टस की ओर से प्रार्थना पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नही हुआ। सीधी बहस की गई।

3. बहस उभयपक्ष सुनी गई। इस न्यायालय की मूल अपील की पत्रावली एवं उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 12/06/2015 एवं उसके साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मयाद अधिनियम एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। सम्पूर्ण परिस्थितियो एवं रिकार्ड के अवलोकन के पश्चात् हमारा निष्कर्ष है कि इस न्यायालय द्वारा अपील संख्या 368/2012 मे पारित निर्णय दिनांक 17/04/2015 रिव्यु किये जाने योग्य है। फलतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 47 निमय 1 सीपीसी दिनांक 12/06/2015 कानून मयाद का लाभ देते हुए स्वीकार करते हुए इस न्यायालय का आदेश दिनांक 17/04/2015 अपास्त किया जाता है एवं अपील की पत्रावली को पुनः नम्बर/तारीख पेशी पर लिया जाता है। विविध प्रार्थना पत्र निर्णित होकर दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ